उत्तर प्रदेश शासन
राजस्व अनुभाग-1
संख्या-19/2020/1049/एक-1-2020-रा0-1
लखनऊ: दिनॉक: 18 सितम्बर, 2020

<u>अधिसूचना</u>

जिलाधिकारी, लखीमपुर खीरी के पत्र संख्या-12ए/भूमि-विनिमय/डी0सी0एम0श्रीराम/प्रस्ताव/डी0एल0आर0सी0, दिनांक-05-12-2019, पत्र संख्या-1690/12ए/भूमि-विनिमय/ डी0सी0एम0श्रीराम/प्रस्ताव/डी0एल0आर0सी0, दिनांक-26-12-2019 व पत्र संख्या-2175/12ए/भूमि विनिमय प्र0-डी0सी0एम0श्रीराम/डी0एल0आर0सी0, दिनांक- 03-09-2020 के आलोक में उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा 77 की उपधारा-2 सपठित धारा 101 की उपधारा-2 के परन्तुक में प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके श्री राज्यपाल ग्राम अजबापुर, परगना पसगवां, तहसील मोहम्मदी, जनपद लखीमपुर खीरी स्थित ग्राम सभा भूमि गाटा संख्या-692/0.349, 745/0.502, 623/0.554, 625/ 0.251, 627/0.894 व 642/0.061 हे0 अर्थात् कुल 06 किता कुल रकबा 2.611हे0 श्रेणी 6(4) खार के रूप में दर्ज भूमि का सशुल्क श्रेणी परिवर्तन करते हुए ग्राम अजबापुर परगना पसगवां, तहसील मोहम्मदी, जनपद लखीमपुर खीरी स्थित संस्था डी0एस0सी0एल0 शुगर अजबापुर ए0युनिट आफ डी0सी0एम0 श्रीराम लि0 की भूमि गाटा संख्या- 613/0.380, 616/0.318, 619/0.780, 621ख/ 0.405 हे0 व ग्राम लोदियापुर, परगना पसगवां, तहसील मोहम्मदी, जनपद लखीमपुर खीरी स्थित गाटा संख्या-372/0.137, 374/0.294हे0 एवं ग्राम पिपरौला कुंवरपुर परगना पसगवां, तहसील मोहम्मदी, जनपद लखीमपुर खीरी स्थित गाटा संख्या-02/0.222हे0 अर्थात् कुल 07 किता कुल रकबा 2.536 हे0 से विनिमय की अनुमति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं :-

(1) उक्त भूमियों का श्रेणी परिवर्तन/विनिमय अपरिहार्य परिस्थितियों में किया जा रहा है। संस्था से श्रेणी परिवर्तन हेतु जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित सर्किल रेट का 25 प्रतिशत धनराशि शुल्क निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा कराया जायेगा।

(2) संस्था द्वारा लोक प्रयोजन की भूमि का श्रेणी परिवर्तन का मूल्य निर्धारित लेखा शीर्षक ''0029-भूराजस्व-800- अन्य प्राप्तियॉ-08-मालिकाना राजस्व-0806- प्रकीर्ण प्राप्तियॉ'' के नाम जमा कराया जायेगा।

(3) कलेक्टर द्वारा ग्राम अजबापुर, लोदियापुर व पिपरौला कुंवरपुर स्थित विनिमय के माध्यम से प्राप्त संस्था की भूमि को श्रेणी 6(4) खार के रूप में दर्ज करने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी ताकि उक्त भूमि पर किसी प्रकार का अवैध कब्जा आदि न हो सके।

(4) लोक प्रयोजन की भूमि का श्रेणी परिवर्तन तथा विनिमय का आदेश प्राप्त होने पर कलेक्टर द्वारा अधिकार अभिलेख (खतौनी) और मानचित्र में तदनुसार संशोधन की कार्यवाही 15 दिन में पूर्ण किया जायेगा।

(5) कलेक्टर कृत कार्यवाही की पूर्ण सूचना शासन तथा आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद को 30 दिन में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगें।

आज्ञा से,
रेणुका कुमार
अपर मुख्य सचिव

-2-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या- 19/2020/1049 (1)/ एक-1-2020-रा0-1 तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

2- निदेशक, उद्योग बन्धु, 12 सी, माल एवेन्यू, लखनऊ।

3- आयुक्त लखनऊ मण्डल, लखनऊ।

4- जिलाधिकारी, लखीमपुर खीरी।

5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

महेन्द्र सिंह
विशेष सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।